न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/178

छोटू लाल आयु 50 वर्ष आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम काबरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय, राजीव गॉधी पाठशाला चक्की का बरडा ग्राम काबरी ग्राम पंचायत रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2003 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 26.08.2003 के द्वारा उपनिवेशन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (7) रेवे/कोलो./68 दिनांक 06.05.71 एवं प. 3 (9)उप/68/पार्ट दिनांक 01.03.97 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम काबरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के विद्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2003 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का पुश्तैनी मकान एवं बाडा इसी आराजी खसरा नम्बर 426 पर बना हुआ है । अपीलान्ट का जन्म इसी मकान में हुआ है । अपीलान्ट के पिता इसी मकान में रहते थे और यहीं पर उनका देहान्त हुआ है । उक्त आदेश करने से पूर्व मौके की स्थिति के अनुसार स्थान निर्धारित करना चाहिए था । आवंटन आदेश के साथ आवंटित भूखण्ड का नक्शा नहीं बनाया गया है और नाप भी निर्धारित नहीं

क्षेत्रफल की सीमा तक अवेध एवं गैरकानूनी है।

किया गया है । आवंटन आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवंटित की गई 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि कुल रकबे में से किस तरफ की है और खसरा नम्बर 426 में से शेष छोडी गई भूमि किस तरफ की है । आवंटन आदेश में आवंटित भूखण्ड की चर्तुसीमा भी दर्ज नहीं की गई है । इस प्रकार आवंटन आदेश अस्पष्ट एंव अपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.12.2015 को तहसीलदार हिण्डोली पुलिस के साथ जेसीबी मशीन लेकर मौके पर आए तब हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटित आदेश अपीलान्ट के पुश्तैनी मकान एवं बाडे की सीमाओं एवं क्षेत्रफल की सीमा तक अवैध एवं गैर कानूनी है । अपीलान्ट का पुश्तैनी मकान एवं बाडा इसी आराजी खसरा नम्बर 426 पर बना हुआ है अपीलान्ट का जन्म इसी मकान में हुआ है । अपीलान्ट के पिता इसी मकान में रहते थे और यहीं पर उनका देहान्त हुआ है । उक्त आदेश करने से पूर्व मौके की स्थिति के अनुसार स्थान निर्धारित करना चाहिए था । आवंटन आदेश के साथ आवंटित भूखण्ड का नक्शा नहीं बनाया गया है और नाप भी निर्धारित नहीं किया गया है । आवंटन आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवंटित की गई 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि कुल रकबे में से किस तरफ की है और खसरा नम्बर 426 में से शेष छोडी गई भूमि किस तरफ की है । आवंटन आदेश में आवंटित भूखण्ड की चर्तुसीमा भी दर्ज नहीं की गई है । अपीलान्ट के मकान के पूर्व तरफ पथवारियॉ नामक धार्मिक स्थान बना हुआ है तथा उत्तरी तरफ रामचन्द्र के मकान के सहारे अन्य ग्रामवासियों के मकान बने हुए हैं । इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 426 में राजीव गॉधी पाठशाला बनाये जाने के लिए उपयुक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं होते हुए भी अपीलान्ट एवं ग्रामवासियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आवंटन कर दिया । पंचायत समिति हिण्डोली की चयन समिति ने राजीव गॉधी पाठशाला के लिए आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को अनुकूल नहीं पाया था । पंचायत समिति हिण्डोली की चयन समिति के द्वारा दिनांक 27.04.2004 को निरीक्षण किया गया जिसमें राजीव गॉधी पाठशाला बनाये जाने के लिए आवंटित आराजी को उपयुक्त नहीं बताया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आवंटन आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.08.2003 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील गंभीर विलम्ब से पेश की और विलम्ब के कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताएं हैं । अपीलान्ट ने अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है अपीलान्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से उपनिवेशन विभाग, राजस्थान जयपुर की

क्षेत्रफल की सीमा तक अवेध एवं गैरकानूनी है।

अधिसूचना संख्या एफ. 3 (7) रेवे/कोलो./68 दिनांक 06.05.71 एवं प. 3 (9)उप/68/पार्ट दिनांक 01.03.97 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम काबरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के विद्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित करने का आदेश पारित किया जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 26.08.2003 के द्वारा उपनिवेशन विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ. 3 (7) रेवे/कोलो./68 दिनांक 06.05.71 एवं प. 3 (9)उप/68/पार्ट दिनांक 01.03.97 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम काबरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के विद्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित करने का आदेश पारित किया । उक्त आवंटन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया गया है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 426 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन से किस प्रकार व्यथित है यह साबित नहीं किया है और न ही अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश किया है ।

10. तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि उसका उक्त भूमि पर कब्जा है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय नेअपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमी को कोई लोकसस्टाण्डाई नहीं है और अतिक्रमित भूमि आवंटन योग्य भूमि मानी जावेगी ।

11. अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 26.08.2003 की अपील 08.03.2016 को पेश की है जो लगभग 13 वर्ष बाद प्रस्तुत की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । विलम्ब के सम्बन्ध में जब तक कोई संतोषकारण नहीं बताए जाते हैं तब तक विलम्बित अवधि को क्षम्य नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि क्षम्य योग्य नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से एवं गुणावगुण के आधार पर भी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2003 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28-5-18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा